सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-152/2021 दिनांक- 24-मार्च-2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- महराजगंज

60 ली0 अबैध देशी कच्ची अपमिश्रित शराब (क्रमशः 20, 20, 20 ली0) व शराब बनाने के उपकरण के साथ 03 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.03.21 को SHO प्र0नि0 गजानन्द चौबे मय हमराह के थाने से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र , चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, सदिग्ध वाहन व अवैध शराब रोकथाम के दृष्टिगत क्षेत्र में मामूर होकर सहदेवगंज बाजार बन्धा पर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की ग्राम देवारा जदीद नेता नगरी में कुछ लोग अवैध तरीके से अपमिश्रित कच्ची शराब भट्टी पर निर्माण करते है व मोटर सायकिलों से ले जाकर आस पास के गाँवो में बेचते है। इस सूचना पर क्षेत्र में पूर्व से रवाना उ0नि0 हौंसिला प्रसाद सिंह , उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद के मय हमराहियान के सहदेवगंज पहुचने के लिए कहा कि थोड़ी देर में उपरोक्त उ0नि गण मय हमराही उपस्थित आकर मिले। पुलिस टीम ने रणनीति बनाते हुए मय मुखबिर खास के सहदेवगंज से प्रस्थान कर ग्राम देवारा जदीद नेता नगरी पहुँचे की गाँव में स्थित एक फूस की मण्डई से धुँआ निकलता दिखाई दिया व उससे दक्षिण – पश्चिम एक और मण्डई से धुंआ निकलता दिखाई दिया। उपरोक्त मण्डई की ओर इशारा कर मुखबिर मौके से हट बढ गया। कि पुलिस टीम अपने वाहन को छोड़कर नीचे उतरकर दबे पाव धुंआ निकलते मण्डई के पास पहुँचे तो देखे कि मण्डई में 02 भट्टीया व दक्षिण पश्चिम मण्डई में 01 भट्टीया सुलग रही है जिसके ऊपर टीन के कनस्तर व उसके उपर पतीला रखा हुआ है। कनस्तर से प्लास्टिक पाइप निकलकर गैलनो से जुड़ी है। जैसे ही पुलिस टीम आगे बढ़ी कि भट्टी के पास बैठी औरत चिल्लाई की भागो पुलिस आ गयी कि दोनो मण्डई से निकलकर कुछ व्यक्ति भागने लगे कि पुलिस टीम ने टीम बनाकर पीछा किया कि 10 से 15 कदम पर भाग रहे दो व्यक्तियो को तक भट्टी के पास बैठी महिला को म0का0 सपना व म0का0 प्रार्थना तिवारी द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। शेष भाग रहे व्यक्तियो को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद व HC रमेश कुमार व का0 नितीश मल्ल ने पीछा किया लेकिन खेत व भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर भागने मे सफल रहे। पकडे गये व्यक्तियो/महिला से नाम पता पूछने पर अपना नाम क्रमशः 1. महेश निषाद S/O रामधनी निषाद R/O देवारा जदीद नेता नगरी PS महराजगंज जनपद आजमगढ, 2. दशरथ निषाद S/O वंगल निषाद R/O महाजी देवारा (जमुनिहवा) PS महराजगंज जनपद आजमगढ़ व महिला ने अपना नाम 3. कंचन निषाद W/O महेश निषाद R/O देवारा जदीद PS महराजगंज जनपद आजमगढ़ बतायी और बताये कि हम लोग साथ मिलकर यही पर भट्टीयो से गुड व महुआ से कच्ची शराब तैयार करते है। शराब की तीव्रता बढ़ाने के लिए यूरिया व फिटकिरी मिला देते है तथा निर्मित शराब को पिपिया मे भर कर मोटर सायकिलो पर लाद कर आस पास के गावो में बेच देते है साहब यही हम लोगो का रोजगार है। उपरोक्त व्यक्तियो को हिरासत में लेकर जल रही भट्ठियो के पास पहुँचा गया तो कनस्तरो व बाल्टीयो में लहन भर कर रखा गया था पूछने पर पकड़े गये व्यक्तियो ने बताया कि साहब पिपिया में टपक रहा पदार्थ कच्ची शराब है। जिसमें तेज नशा होने के लिए पहले से ही कनस्तर में यूरिया व फिटकरी मिला दिया गया है। मण्डई के अन्दर करीब 20-20-20 ली0 के तीन पिपिया प्लास्टिक की रखी थी जिनका ढक्कन खोलकर सूंघा गया तो शराब जैसी तीव्र गंध का आभास हुआ। जिसके बारे में हिरासत में लिए गये व्यक्तियो द्वारा बताया गया कि यह तेज नशे वाली शराब है इसमें फिटकरी व यूरिया मिलाया गया है मण्डई के अन्दर में ही एक पन्नी में 250 ग्राम यूरिया व 500 ग्राम फिटकरी चूर्ण बरामद हुआ जिसके बारें में पकड़े गये व्यक्तियो ने बताया कि शराब में नशा बढ़ाने के लिए इसे मिलाते है मण्डई के दक्षिण तरफ देखा गया तो पाया गया कि काफी गढ्ढे बने है जिसमे प्लास्टिक की बड़ी बड़ी पन्नियो में गुड व पानी मिलाकर रखा हुआ था जिसके बारे में बताये की इसी गढ़्ढे मे गुड के सिरे के महुआ के साथ सडाकर उबालकर यूरिया फिटकिरी मिलाकर अवैध शराब तैयार करते है। मण्डई के बाहर 03 अदद मोटर सायकिल UP50AU0318, UP50BP4164, UP50Q9257 खडी मिली। जिनके बारें में पकड़े गये व्यक्ति व महिला बता रही है कि इन्ही मोटर सायकिलो पर लाद कर हम और हमारे साथी शराब की आस- पास के गावो में बेचते है मो0 सायकिल व शराब बनाने के कागजात तलब करने पर दिखाने से कासिर रहे। पकड़े गये व्यक्तियो को कारण गिरफ्तारी व धारा 272 , 273 IPC व 60, 60(2) आबकारी अधिनियम का अपराध बताकर समय करीब 07.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद मो0 सायकिलों को अन्तर्गत धारा MV ACT 207 में सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 95/21 धारा 272, 273 IPC व 60 व 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. महेश निषाद S/O रामधनी निषाद R/O देवारा जदीद नेता नगरी PS महराजगंज जनपद आजमगढ
2. दशरथ निषाद S/O वंगल निषाद R/O महाजी देवारा (जमुनिहवा) PS महराजगंज जनपद आजमगढ़,
3. कंचन निषाद W/O महेश निषाद R/O देवारा जदीद PS महराजगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

60 ली0 अबैध देशी कच्ची अपमिश्रित शराब (क्रमशः 20 , 20, 20 ली0) करीब 250 ग्राम यूरिया 500 ग्राम फिटकिरी व शराब बनाने का उपकरण टीन के 03 कनस्तर प्लास्टिक की नली लगी हुई व 03 कनस्तर टीन के पतीला छोटे बड़े 05 अदद व प्लास्टिक बाल्टी 02 अदद व स्टील बाल्टी 02 मग प्लास्टिक 01, चिमटा - 01, लकड़ी करीब 20 Kg व 03 अदद मो0सा0

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 95/21 धारा 272, 273 IPC व 60 व 60(2) आबकारी अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO प्र0नि0 गजानन्द चौबे मय हमराह का0 सुनिल सरोज , का0 अभिषेक राय , म0का0 सपना व म0का0 प्रार्थना तिवारी ,Si हौंसिला प्रसाद सिंह , Si योगेन्द्र प्रसाद, HC रमेश कुमार, का0 राकेश यादव , का0 रविन्द्र यादव , का0 रामसरण, का0 अरविन्द यादव, का0 नितिश मल्ल

थाना- गम्भीरपुर

प्रश्रय देने वाले आरोपी गिरफ्तारी

मु0अ0सं0 10/21 धारा 147,148,149,352,302,34 ,120B भादवि व 7 CLA ACT व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्तगण कृष्णा राय व कौशल किशोर राय पुत्रगण गुरू प्रसाद राय उर्फ बेचू राय निवासीगण ग्राम अमौड़ा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ जिनके गिरफ्तारी हेतु उनके सगे सम्बन्धियो के यहाँ लगातार दबिश दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद यह जानते हुए कि कृष्णा राय उपरोक्त थाना गम्भीरपुर के हत्या के मुकदमे में वाँछित व पुरस्कार घोषित अपराधी है और पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए बादस्तुर फरार चल रहा है फिर भी इन्द्रकला राय पत्नी देवलाश राय व रोहित राय पुत्र देवलाश राय निवासी अहिरौली थाना बरदह आजमगढ़ वाँछित अभियुक्तगण कृष्णा राय व कौशल किशोर राय को अपने घर में प्रश्रय दे रहे है तथा छिपाने का कार्य कर रहे है तथा पुलिस के आने की भनक लगते ही उनको भगाने में पूर्णतया सहयोग कर रहे है। उपरोक्त प्रश्रय दाताओं को पूछताछ के दौरान भली भाँति घटना क्रम में पूर्णतया संज्ञानित कराया जा चुका है। फिर भी प्रश्रय देने तथा भगाने का कार्य कर रहे है। उपरोक्त शरणदाताओं का यह कार्य धारा 216 भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है अतः उपरोक्त शरणदाताओ के विरुद्ध मु0अ0सं0 56/2021 धारा 216 भादवि पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में प्र 0नि0 ज्ञानू प्रिया मय हमराह थाना हाजा से प्रस्थान कर क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर मु 0अ0सं0 56/2021 धारा 216 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण इन्द्रकला राय पत्नी देवलाश राय व रोहित राय पुत्र देवलाश राय निवासी अहिरौली थाना बरदह आजमगढ़ के ग्राम अहिरौली घर पर दबिश दिया गया। अभियुक्तगण मौजूद मिले। जिनकों समय करीब 08.10 बजे अपराध का बोध कराते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 56/2021 धारा 216 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. इन्द्रकला राय पत्नी देवलाश राय
2. रोहित राय पुत्र देवलाश राय निवासी अहिरौली थाना बरदह आजमगढ़।

बरामदगी-

एक अदद मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्र.नि.ज्ञानू प्रिया,का.संतोष मिश्रा,का.बैजनाथ सरोज ,म.का. रत्नावली कुशवाहा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना- जीयनपुर

दो-दो अवैध तमंचा व कारतूस के साथ दो गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/अवैध तमंचा व कारतूस से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु अभियान के तहत दिनांक- 23.03.2021 को SHO हिमेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा देख भाल क्षेत्र तलाश वांछित चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में अजमतगढ़ तिराहे पर मौजूद थे कि चौकी प्रभारी अजमतगढ़ उ0नि0 चन्द्रशेखर यादव मय हमराह का0 अभिषेक यादव के उपस्थित आये। पुलिस टीम अपराध तथा अपराधियों के सम्बन्ध मे बातचीत कर रही थी कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि दो व्यक्ति जमीन मेघई की तरफ से नाजायज तमंचा लेकर पैदल ही सड़क पकड़कर जा रहे है। मुखविर की इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मुखविर के जमीन मेघई गांव के बाहर सड़क पुलिया के पास पहुचे कि कुछ दूर पर दो व्यक्ति सड़क से आते दिखाई दिये मुखविर खास ने गाड़ी रोकवाकर उक्त व्यक्तियों को इशारा करके कि यही वह व्यक्ति है जिनके पास नाजायज असलहा है हट बढ़ गया कि पुलिस टीम तेजी से आगे बढ़ी कि उक्त दोनो व्यक्ति पुलिस वालों को पास आकर

रुकते देखे कि घबड़ाकर पीछे मुड़कर भागने लगे कि पुलिस टीम द्वारा दौड़ा कर करीब 25-30 कदम जाते जाते दोनो व्यक्तियों को घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सत्यम सिंह उर्फ गोलू पुत्र जनार्दन सिंह निवासी रामपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जिसकी तलाशी में एक अदद तमन्चा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा दूसरे ने अपना नाम दीन बन्धू सिंह उर्फ पथरु S/O गौकरन सिंह ग्राम नैढ़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ बताया जिसकी तलाशी से एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुए। उनके अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 20.30 बजे रात्रि मे अन्तर्गत धारा 3/25 A. ACT मे पुलिस हिरासत मे लिया गया। तथा बरामद तमंचा/कारतूस के आधार पर थाना स्थानीय पर मु 0अ0सं0 92/21 धारा 3/25 a.act बनाम सत्यम सिंह उर्फ गोलू पुत्र जनार्दन सिंह निवासी रामपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ व मु0अ0सं0 93/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम दीनबन्धू सिंह उर्फ पथरु S/O गौकरन सिंह ग्राम नैढ़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सत्यम सिंह उर्फ गोलू पुत्र जनार्दन सिंह निवासी रामपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. दीनबन्धू सिंह उर्फ पथरु S/O गौकरन सिंह ग्राम नैढ़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1- 02 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 92/21 धारा 3/25 A Act थाना जीयनपुर आजमगढ़ ,
2. मु0अ0सं0 93/21 धारा 3/25 A Act थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक हिमेन्द्र सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 अमन पासवान थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 अंकुर कुमार सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 रमेश यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. म0का0 प्रीति सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
6. म0का0 साधना तोमर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज

दहेज हत्या के दो नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 23.03.2021 को श्रीमती लाली देवी पत्नी बुद्धु यादव सा 0 विजयीपुर थाना मेहनगर जनपद आजगमढ ने थाना पर लिखित तहरीर दी कि मेरी लड़की सरिता यादव को अभि 0गण द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल के लिए प्रताडित करना व न देने पर जहर देकर हत्या कर दी गई। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 58/21 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपीएक्ट बनाम 1-राधेश्याम यादव पुत्र बिरेन्द्र यादव (पति) 2-बिरेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात (ससुर) 3-श्रीमती उर्मिला यादव पत्नी बिरेन्द्र यादव (सास) नि 0गण ग्राम कलिजपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ के पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 24.03.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में मु0अ0स0 58/21 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित वाछित अभियुक्तगण 1-राधेश्याम यादव पुत्र बिरेन्द्र यादव (पति) 2-बिरेन्द्र यादव पुत्र रामकेर यादव (ससुर) नि0गण ग्राम कलिजपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ को उनके घर से समय करीब 13.05 बजे गिरफ्तार किया। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोगः-

58/21 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. राधेश्याम यादव पुत्र बिरन्द्र यादव ग्राम कलिजपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ
2. बिरेन्द्र यादव पुत्र रामकेर ग्राम कलिजपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1- उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय

2-का0 अभय प्रताप सिंह
3.का0 हरेन्द्र मिश्रा
3.म0का0 रागीनी सिंह

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थानो द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 21 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।